न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
16 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	01.03.2017	18.02..2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री कमल कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द जैन उम्र 46 वर्ष जाति महाजन निवासी मकान नं0 20, इन्द्रा कॉलोनी टोंक पार्टनर मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज एफ–14 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक

2– श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री भाग चन्द जैन निवासी शार्गीद पेशा की गली, टोंक राज0 पार्टनर मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज एफ–14 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक

3– मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज एफ–14 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 18.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.06.2016 को समय 3.15 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज एफ–14 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री कमल कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द जैन उम्र 46 वर्ष जाति महाजन [illegible] मकान नं0 20, इन्द्रा कॉलोनी टोंक पार्टनर मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज [illegible] एरिया टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को [illegible] परिचय पत्र [illegible]या तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:15:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का पार्टनर. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज एफ–14 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक के गोदाम मे **कच्ची घाणी सरसो तेल (गणेश)**रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री कमल कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कमल कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा गोदाम मे 15 किलोग्राम के लगभग 250 टिन **कच्ची घाणी सरसो तेल (गणेश)** रखे हुये मे से एक टिन पैक का चयन कर नियमानुसार टिन को खुलकर 1600 ग्राम तेल बाट मापक से तुलवाकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री कमल कुमार जैन को रू0 130/–अक्षरे एक सौ तीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसो तेल (गणेश)** खरीदशुद्वा 1600 ग्राम को चार साफ व सूखे कॉच की शिशियो मे प्रत्येक मे 400–400 ग्राम भरकर प्रत्येक शिशी के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1394 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1394 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. कमल कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। आवेदक द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी टोंक से पत्राचार करने पर उनके द्वारा पार्टनर की सूची प्रेषित की है।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर [illegible] विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:15:59 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2016/3096 दिनांक 02.08.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/401/एक्ट/2016/448 दिनांक 13.07.2016 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2016 अनुसार कमल कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **कच्ची घाणी सरसो तेल (गणेश)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **कच्ची घाणी सरसो तेल (गणेश)**का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **कच्ची घाणी सरसो तेल (गणेश)** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसो तेल (गणेश)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री कमल कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द जैन उम्र 46 वर्ष जाति महाजन निवासी मकान नं0 20, इन्द्रा कॉलोनी टोंक पार्टनर मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज एफ–14 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री [illegible] चन्द जैन निवासी शागींद पेशा की गली, टोंक राज0 पार्टनर मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज एफ–14 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:15:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दिनांक 18.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

18-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्यायिक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:15:59 IST
Reason: SelfAttested